विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009–1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)।

दिनांक चण्डीगढ़ 09.08.2023

विषयः– हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 25 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घा में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण **राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए।**

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें । **इस विषय पर इस विभाग द्वारा पहले ही एक परिपत्र क्रमांक 1/10/2022–1पी0ए0, दिनांक 03.07.2023 को जारी किया जा चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त परिपत्र की दृढ़ पालना सुनिश्चित की जाये।**

भवदीय,

अशोक कुमार
उप अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशाः क्रमांक 1/6/2009–1सं0 का0

दिनांक 09.08.2023

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अशोक कुमार
उप अधीक्षक संसदीय कार्य
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।